भाग—1

न्यायालयः— न्यायिक मजिस्ट्रेट मेड़ता	
पीठासीन अधिकारी	**हुक्मीचंद गहनोलिया, आर.जे.एस**
सीआईएस नंबर	309/2017
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या	41/2017 पीएस मेडतासिटी
परिवादी	घासीराम पुत्र श्री रतनाराम निवासी सारंग बासनी तहसील थाना मेडतासिटी जिला नागौर।
प्रस्तुत द्वारा	श्री सुरेश बुडानिया, विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त	हनुमानराम पुत्र श्री ज्ञानाराम उम्र 34 साल निवासी ग्राम डेगाना थाना डेगाना जिला नागौर
विद्वान अधिवक्ता	**श्री राजेन्द्र जयपाल, विद्वान अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त हनुमानराम की ओर से**

ख

घटना की दिनांक	28.01.2017
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	29.01.2017
आरोप पत्र पेश करने की दिनांक	03.03.2017
आरोप विरचन की दिनांक	03.03.2017
साक्ष्य प्रारंभ की दिनांक	03.03.2017
निर्णय सुरक्षित की दिनांक	12.03.2026
निर्णय दिनांक	**12.03.2026**
सजा आदेश यदि हो तो	—

ग

अभियुक्त की सूचना

क्रम सं	नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहाई की दिनांक	अपराध अन्तर्गत धारा	दोषमुक्त / दोषसिद्ध	आरोपित सजा	धारा 428 द.प्र.सं समायोजन समयावधि
1	हनुमानराम	—	—	279, 304ए	—	—	—

				भा.द.सं.			

भाग 2
अभियोजन/अभियुक्त/न्यायालय गवाह की सूची
कः अभियोजन गवाह

क्रम संख्या		गवाह का नाम	गवाह की प्रकृति
1	पी.ड. 1	घासीराम	फर्द सुरतहाल, पंचनामा व सुपुर्दगी लाश, फर्द निरी0 एमसीव नक्शा मौका
2	पी.ड. 2	गेनाराम	पंचनामा व नक्शा मौका
3	पी.ड. 3	गणपत	फर्द जब्ती जीप
4	पी.ड. 4	महेन्द्र	फर्द सुरतहाल, पंचनामा व सुपुर्दगी लाश, फर्द निरी0 एमसीव नक्शा मौका
5	पी.ड. 5	हनुमानराम	गवाह
6	पी.ड. 6	राजुराम	पंचनामा लाश
7	पी.ड. 7	राजेन्द्र सिह	गवाह
8	पी.ड. 8	शिवरतन	फर्द सुपुदर्गी मोटरसाईकिल
9	पी.ड. 9	आर के तंवर	पोस्टमार्टम रिपोर्ट
10	पी.ड. 10	कालुराम	फर्द पंचनामा लाश
11	पी.ड. 11	निम्बाराम	133एमवीएक्ट
12	पी.ड. 12	अमराराम	एमआई करवाना

ख अभियुक्त गवाह की सूची

डी.डब्ल्यु क्रमांक	गवाह का नाम
—	—

गः न्यायालय गवाह सूची

गवाह का नाम	गवाह का प्रकार
—	—

अभियोजन/अभियुक्त/न्यायालय द्वारा प्रदर्शित दस्तावेजी सूची
क–1 अभियोजन दस्तावेज सूची

क्रम सं.	प्रदर्श संख्या	विवरण

1	प्रदर्श पी 1	घटना की रिपोर्ट
2	प्रदर्श पी 2	एफ आई आर
3	प्रदर्श पी 3	नक्शा मौका
4	प्रदर्श पी 4	फर्द सुरतहाल लाश
5	प्रदर्श पी 5	पंचनामा लाश
6.	प्रदर्श पी 6	सुपुदर्गी लाश
7.	प्रदर्श पी 7	फर्द निरीक्षण मोटरसाईकिल
8.	प्रदर्श पी 8	फर्द जब्ती
9.	प्रदर्श पी 9	फर्द सुपुदर्गी दुघर्टनाग्रस्त मोटरसाईकिल
10	प्रदर्श पी 10	पुलिस बयान हनुमानराम
11.	प्रदर्श पी 11	पुलिस बयान राजुराम
12.	प्रदर्श पी 12	पोस्टमार्टम रिपोर्ट
13.	प्रदर्श पी 13	133 एमवीएक्ट का नोटिस
14.	प्रदर्श पी 14	मैकेनिकल मुआयना करने बाबत प्रार्थना पत्र

ख—1 अभियुक्त दस्तावेज सूची

क्रम सं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
—	—	—

ग— न्यायालय दस्तावेज सूची

क्रम सं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
—	—	—

घ—आर्टिकल सूची

क्रम सं.	आर्टिकल संख्या	विवरण
—	—	—

—नि र्ण य— **दिनांकः— 12.03.2026**

1. **संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है** कि घासीराम पुत्र श्री रतनाराम जाति जाट निवासी सारंगबासनी तहसील थाना मेडतासिटी की है कि आज दिनांक 28.01.2017 को साय को सूर्यास्त होने के बाद वह व उसके साथ राजूराम पुत्र रामपाल लालरिया जाति जाट निवासी सारंगबासनी

दोनों मोटरसाईकल से कृषि मण्डी से गांव जा रहे थे और उनके आगे मुनाराम पुत्र श्री पुरखाराम जाति जाट मुवाल उम्र 35 साल निवासी सारंगबासनी कृषि उपज मण्डी मेडता सिटी में मैं. शिव ट्रेडर्स पर मुनिम का कार्य कर मोटरसाईकिल से घर जा रहा था, इस समय करीब सायं 7.30 बजे कोसिया नाडा व उम्मेद डेयरी के बीच सामने से मेडता रोड की तरफ से एक जीप आर जे 33 यूए 0556 तेज गति से लापरवाही से चलकर गलत रोड साईड में आकर मुनाराम की मोटरसाईकिल को टक्कर मारकर एक्सीडेंट किया जिससे मुनाराम नीचे गिर गया तथा जीप चालक जीप छोडकर भाग गया जीप मौके पर खडी है उसी समय 3—4 राहगीर और आ गये तथा कुछ समय बाद एम्बुलेंस आ गई जिसकी सहायता राजीकीय चिकित्सालय मेडतासिटी पहुॅचाया जहां डाक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मोटरसाईकिल व हेलमेट मौके पर पडे हैं ..... वगैरह पर मुकदमा नम्बर 41/2017 दर्ज किया जाकर बाद अनुसंधान न्यायालय के समक्ष अभियुक्त के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 279, 304ए भा.दं.सं. में आरोप पत्र प्रस्तुत किया जिस पर बाद अवलोकन अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धाराओं के अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. बहस चार्ज सुनी गई। अभियुक्त हनुमानराम को आरोप अन्तर्गत धारा 279, 304ए भा.दं.सं. मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोपित अपराध से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

3. साक्ष्य अभियोजन में गवाह पी.ड. 1 घासीराम, पी.ड. 2 गेनाराम, पी.ड. 3 गणपत, पी.ड. 4 महेन्द्र, पी.ड. 5 हनुमानराम, पी.ड. 6 राजुराम व पी.ड. 7 राजेन्द्रसिह, पीड 08 शिवरतन, पी0ड09 आर के तंवर, पी.ड.10 कालुराम, पी.ड.11 निम्बाराम, पी.ड.12 अमराराम को परीक्षित करवाया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी1 से प्रदर्श पी 14 को प्रदर्शित करवाया गया।

4. अभियुक्त का परीक्षण अन्तर्गत धारा 313 दं.प्र.सं किया गया जिसमें अभियुक्त ने अपने विरूद्ध आई साक्ष्य को गलत होना बताया तथा स्वयं के निर्दोष होने व झूठा फंसाए जाने का कथन किया व साक्ष्य प्रतिरक्षा प्रस्तुत करना नहीं चाहा।

5. बहस अंतिम सुनी गई। बहस में विद्वान अभियोजन अधिकारी का तर्क है कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित है। अतः उसे दोषसिद्ध घोषित किये जाने का निवेदन किया। जिसके विरोध में विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने तर्क दिया है कि गवाहों के बयानों में गंभीर विरोधाभास है। अभियुक्त को झूंठा फंसाया गया है। अभियुक्त ने किसी प्रकार से कोई अपराध नहीं किया है। किसी भी गवाह ने अभियुक्त की स्पष्ट पहचान साबित नहीं की है और चालक की पहचान भी किसी भी गवाह ने नहीं बताई है। अंत में अभियुक्त को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया।

6. उभय पक्षों के तर्कों को ध्यानपूर्वक सुना गया। पत्रावली एवं सम्बन्धित विधि का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है किः—

— **क्या अभियुक्त ने दिनांक 28.01.2017 को करीब साय 07:30 बजे अपने वाहन जीप नंबर आर जे 33 युए 0556 को तेज गति व लापरवाही से चलाकर मानव जीवन को संकटापित किया तथा मुनाराम की मोटरसाइकिल को टक्कर मारी जिससे आई चोटों के कारण उसकी मृत्यु कारित हुई।**

— **यदि हां, तो अभियुक्त किस दण्ड का पात्र होगा?**

7. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। संबंधित विधि का अध्ययन किया गया। अभियोजन पक्ष ने विचारणीय बिन्दु को साबित करने के लिए कुल 12 गवाहान को पेश कर परिक्षित करवाया।

8. पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का समग्र रूप से विवेचन एवं विश्लेषण किया गया।

9. **गवाह पी ड 01 घासीराम** ने अपने सशपथ बयानों में कथन किया है कि दिनांक 28.01.2017 को शाम को साढे सात बजे की बात है। उम्मेद डेयरी कोसानाडा के बीच गांव सांरग बासनी की घटना है। एक्सींडेट हुआ था। उसके भाई मुन्नाराम का एक्सीडेंट हुआ था। मुन्नाराम मेडतासिटी मंडी से गांव सांरग बासनी जा रहा था। मोटरसाईकिल से जा रहा था। वह व

राजूराम उसके पीछे—पीछे मोटरसाईकिल से चल रहे थे तो मेडता रोड की तरफ से एक जीप आर जे 33 यूए 0556 फुल स्पीड से चलती हुयी आयी और उसने मुन्नाराम को टक्कर मार दी जिससे मुन्नाराम नीचे गिर गया। एक्सींडेट जीप चालक की गलती से हुआ था। मुन्नाराम अपनी साइड में चल रहा था। बरवक्त दुर्घटना उक्त जीप को हनुमानराम नाम का आदमी चला रहा था जो डेगाना गांव का था जिसको वह पहले से नही जानता था, एक्सीडेंट वाले दिन ही देखा था आज अगर उसके सामने आए तो वह उसे पहचान सकता है। घटना की रिपोर्ट प्रदर्श पी1 उसने थाने में पेश की थी जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। एक्सींडेट में उसके भाई के आयी चोटो के कारण उसकी मृत्यु हो गयी थी। एफआईआर प्रदर्श पी2 है नक्शा मौका प्रदर्श पी3 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। फर्द सुरत हाल लाश प्रदर्श पी 4 पंचनामा लाश प्रदर्श पी 5, सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी6, फर्द निरीक्षण मोटरसाईकिल प्रदर्श पी7 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उक्त दुर्घटना कारित करने वाली जीप में शराब भरी हुयी थी। वह मुलजिम को नहीं जानता है ना ही उसने मुलजिम को दुर्घटना के समय देखा था। आज अगर मुलजिम हाजिर हो तो वह पहचान नहीं सकता है। उसके सामने पुलिस ने दुर्घटना ग्रस्त मोटरसाईकिल सुपुर्द नहीं की थी और ना ही कोई कागज बनाए थे। **एपीपी के निवेदन पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया। एपीपी द्वारा प्रतिपरीक्षा में** कथन स्वीकार किया कि उनका आपस में राजीनामा हो गया है। गवाह ने स्वीकार किया है कि फर्द सुपुर्दगी दुर्घटना ग्रस्त मोटरसाईकिल प्रदर्श पी9 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है अजखुद कहा कि उसके सामने मोटरसाईकिल सुपुर्द नहीं की थी। गवाह ने अस्वीकार किया है कि उनहोने अपने भाई की मृत्यु के बदले मुलजिम हनुमानराम से मुआवजे की राशि प्राप्त कर ली हो और राजीनामा कर लिया हो इसलिए वह मुलजिम हनुमानराम को बचाने के लिए न्यायालय में झूठे बयान दे रहा हो। **अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा प्रतिपरीक्षण में** गवाह ने कथन किया कि रिपोर्ट प्रदर्श पी1 किसने लिखी उसको पता नहीं है ना ही उसको पढकर सुनायी थी। उसके सामने यह रिपोर्ट नहीं लिखी थी। प्रदर्श पी3 फर्द नक्शा मौका उसके सामने नहीं बनाया था ना ही उसको पढकर सुनायी

गयी थी। उसके पुलिस वालो ने खाली कागज पर हस्ताक्षर करवाए थे। प्रदर्श पी 4, 5, 6, 7 उसको पढकर नही सुनायी थी और उसके खाली कागज पर हस्ताक्षर करवाए थे। प्रदर्श डी1 का ए से बी हिस्सा उसने पुलिस को नही लिखाया ना ही उसने पुलिस में बयान दिए थे। एक्सीडेंट हुआ जिस दिन वह मेडता में ही था। उसने घटना नहीं देखी।

10. **गवाह पी ड 02 गेनाराम** ने अपने सशपथ बयानों में कथन किया है कि मुन्नाराम उसका भाई लगता था जिसकी मृत्यु दिनांक 28.01.2017 को कोसानाडा व सांरग बासनी के बीच में सडक आम पर हुआ जीप से हुए एक्सींडेट में हुआ था जिसका पुलिस ने दिनांक 29.01.2017 को देखा था फिर कहा कि दिनांक 31.01.2017 को देखा था उस समय पुलिस ने उसको गवाह रखा था। नक्शा मौका प्रदर्श पी3 पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है, उसके भाई मुन्नाराम के शव के कागज पुलिस ने चीरघर में बनाए थे दुर्घटना के दूसरे दिनांक 29.1.17 को बनाए थे। फर्द सुरत हाल लाश प्रदर्श पी4, पंचनामा लाश प्रदर्श पी5, सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी6 पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। **प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया कि** एक्सीडेंट की तारीख उसको किसी ने नहीं बतायी थी अजखुद कहा कि एक्सीडेंट की तारीख उसको याद थी। उसके पास मोटरसाईकिल थी। वह डेढ सो मीटर पीछे चल रहा था। एक्सीडेंट 28.1.2017 को शाम को साढे सात बजे हुआ था। कोसानाडा के पास एक्सींडेट हुआ था। उसके भाई के पास में अलग मोटरसाईकिल थी तथा उसके पास अलग मोटरसाईकिल थी। एक्सीडेट के बारे में पुलिस को सूचना नहीं दी थी ना ही बात की थी। वह मौके पर दिनांक 31.01.2017 को गया था। उसको मौके पर पुलिस वाले लेकर गए थे। पुलिस वाले उसको घर बुलाने के लिए आए थे। पुलिस वाले सुबह जल्दी आठ—नौ बजे आ गए थे। पुलिस वालो ने आकर कहां कि तहकीकात करनी है। साढे नौ बजे वो घटनास्थल पर पहुंच गए थे। उसके घर पर पुलिस वाले पांच—दस मिनट रूके थे। घटनास्थल पर वो 15—20 मिनट रूके थे। घटनास्थल पर वह था और पुलिस वाले थे व दो अन्य आदमी थे जिनके नाम वह नहीं जानता है। गवाह ने स्वीकार किया है कि पुलिस वालो ने मौके पर उससे कोई पूछताछ नहीं की थी। घटनास्थल के

पडौस वह नहीं बता सकता हैं। रोड के किस दिशा में एक्सीडेट हुआ उसको दिशा में जानकारी नहीं है फिर कहा कि रोड के पश्चिम दिशा में एक्सीडेंट हुआ था। वह रोड की चौडाई नहीं बता सकता है। उसने मौके पर जीप व मोटरसाईकिल नहीं देखी थी। पुलिस वालो ने क्या लिखापढी की उसको नहीं बतायी थी, उसके केवल हस्ताक्षर करवाए थे। घटनास्थल पर उसने किसी प्रकार के अलामात नहीं देखे थे। गवाह ने अस्वीकार किया है कि उसका भाई मुन्नाराम गलत साइड में चलता हो व उसकी स्पीड बहुत तेज हो प्रदर्श पी 3, 4, 5, 6 पर उसके हस्ताक्षर करवाए थे लेकिन उसको पढकर नहीं सुनाई थी। गवाह ने अस्वीकार किया है कि उक्त सभी फर्दात पर उसके थाने में हस्ताक्षर करवाए हो। गवाह ने अस्वीकार किया है कि उसका भाई घटना के दिन शराब पीया हुआ हो अजखुद कहा कि यह शराब पीता ही नहीं है। गवाह ने स्वीकार किया है कि उसके भाई के एक्सीडेट का क्लेम मिल गया था। गवाह ने अस्वीकार किया है कि क्लेम लेने के लिए उन्होने झूठा मुकदमा किया हो।

11. **गवाह पी ड 03 गणपत** ने अपने सशपथ बयानों में कथन किया है कि दिनांक 28.01.2017 को वह पीएस मेडता सिटी में एफसी के पद पर कार्यरत था। उस रोज वह रामनिवास एचसी के साथ सरहद सोगावास में दुर्घटना स्थल पर पहुचा था जहां पर रामनिवास एचसी ने दुर्घटना जीप महिन्द्रा आर जे 33 युए 0556 जरिये फर्द प्रदर्श पी8 के जब्त की थी। फर्द जब्ती प्रदर्श पी 8 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर करवा थे। **प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया है कि** घटनास्थल पर वह शाम को पहुंचा था समय उसको आज ध्यान नहीं है। उसके अलावा रामचन्द्र जी, मुकेश एफसी उपस्थित थे फिर कहा कि रामनिवास एचसी साहब मौजुद थे। मेडता थाने से करीबन तीन चार किमी दूरी पर उक्त घटना कारित हुयी थी। घटना कब घटी उसको पता नहीं है अजखुद कहा कि वह तो गाड़ी की जब्ती में था। घटना के कितने दिन बाद पुलिस ने गाड़ी जब्त की उसको जानकारी नहीं है। वह मौके पर गया तब गाड़ी का मुंह मेडतासिटी की तरफ था। उक्त गाड़ी जो जब्त की सडक के किस साइड में थी उसको पता नहीं है। उसके अलावा पुलिस स्टाफ के अलावा और कोई मौजूद नहीं था। गवाह ने

स्वीकार किया है कि मेडता से सोगावास, सोगावास से मेडता की तरफ आवागमन हर समय चलता रहता है। मौके पर उन्हें देखकर कोई भी नहीं रूका था। उसकी रवानगी थाने से सुबह की हुयी थी। गवाह ने स्वीकार किया है कि वह घटनास्थल पर शाम को ही पहुचा था। दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी को वह पहले से नहीं जानता था। गाड़ी का आगे का बंपर मुड़ा हुआ था। आगे का साइड ग्लास टूटा हुआ था और इसके अलावा और कोई टूट—फुट हो तो उसको जानकारी नहीं है। गाड़ी को घटनास्थल से जब्त करके कौन चला कर लेकर आया उसको पता नहीं है। वह किस से घटना पर गया उसको आज याद नहीं है। गवाह ने स्वीकार किया है कि उसने घटनास्थल देखा था। मौके पर सडक पर गाड़ी के ब्रेक के निशान हो तो उसको ध्यान नहीं है। दुर्घटनाग्रस्त मोटरसाईकिल मौके पर थी या नहीं उसको ध्यान नहीं है। घटनास्थल पर परिवादी मौजुद हो तो उसको पता नहीं है। गवाह ने अस्वीकार किया है कि वह मौके पर नहीं गया हो और उसके थाने में ही हस्ताक्षर करवाए गए हो।

12. **गवाह पी ड 04 महेन्द्र** ने अपने सशपथ बयानों में कथन किया है कि पुलिस ने उसके सामने दुर्घटना के संबंध में कोई कार्यवाही नही की थी। मुन्नाराम उसका बडा भाई लगता था जिसकी मृत्यु कैसे हुयी उसको पता नहीं है। **एपीपी के निवेदन पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया। एपीपी द्वारा प्रतिपरीक्षा में** में गवाह ने कथन किया है कि उसको नहीं पता कि प्रदर्श पी4 उसके बडे भाई मुन्नाराम का फर्द सुरत हाल लाश व प्रदर्श पी5 पंचनामा लाश व प्रदर्श पी6 सुपुर्दगी लाश फर्द हो। गवाह ने स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी 4, 5, 6 पर ई से एफ स्थानो पर हस्ताक्षर उसके ही है अजखुद कहा कि पुलिस वालो ने खाली कागजो पर हस्ताक्षर करवाए थे। वह तो लाश की कार्यवाही होने के बाद में मोर्चरी पहुंचा था। गवाह ने स्वीकार किया कि प्रदर्श पी 7 पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है अजखुद कहा कि पुलिस ने खाली कागज पर करवाए थे। गवाह ने स्वीकार किया है कि अब उनका मुलजिम हनुमानराम से राजीनामा हो गया है। गवाह ने स्वीकार किया है कि नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है अजखुद कहा कि पुलिस वालो ने खाली कागज पर करवाए थे।

गवाह ने अस्वीकार किया है कि राजीनामा होने के कारण वह आज मुलजिम को बचाने के लिए मुलजिम के कहे अनुसार बयान दे रहा हो। **अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा प्रतिपरीक्षण** में गवाह ने स्वीकार किया है कि उनके आपस में राजीनामा हो गया हैं।

13. **गवाह पी ड 05 हनुमानराम** ने अपने सशपथ बयानों में कथन किया है कि घटना के बारे में उसको आज कुछ भी याद नहीं है क्योंकि उसने कोई घटना नहीं देखी थी ना ही उसके सामने कोई घटना घटी। **एपीपी के निवेदन पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया। एपीपी द्वारा प्रतिपरीक्षा में** गवाह ने कथन स्वीकार किया है कि वह चालक की भी नौकरी करता है। गवाह ने अस्वीकार किया है कि उसने कभी गाड़ी नम्बर आर जे 21 जीवी 5639 चलाई हो। पुलिस बयान प्रदर्श पी 10 का ए से बी भाग उसने नहीं लिखाया। गवाह ने अस्वीकार किया है कि वह आज अभियुक्त को बयाने के लिए झूठै बयान दे रहा हो।

14. **गवाह पी ड 06 राजूराम** ने अपने सशपथ बयानों में कथन किया है कि घटना के बारे में उसको कोई जानकारी नहीं है ना उसने कोई घटना देखी। **एपीपी के निवेदन पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया। एपीपी द्वारा प्रतिपरीक्षा में** गवाह ने कथन किया है कि पुलिस बयान प्रदर्श पी11 का ए से बी भाग उसने पुलिस को नहीं लिखाया। गवाह ने स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी5 पर जी से एच उसके हस्ताक्षर है। गवाह ने अस्वीकार किया है कि वह आज अभियुक्त को बचाने के लिए झूठे बयान दे रहा हो। **अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा प्रतिपरीक्षण में** गवाह ने कथन किया है कि प्रदर्श पी 5 की कारवाई थाने में की गई थी पुलिस ने उसके खाली कागज पर हस्ताक्षर करवाये थे।

15. **गवाह पी ड 07 राजेन्द्र सिह** ने अपने सशपथ बयानों में कथन किया है कि दिनांक 24.10.2016 को वह सादा देशी शराब गोदाम मेडता रोड पर डिपो प्रभारी पद पर पदस्थापित था। आबकारी निरीक्षक के परमिट के अनुसरण में दिनांक 28.01.17 को गाड़ी पिकअप नम्बर आर जे 21 जीबी 5639 व आर जे 33 यूए 0556 में 340 सादा देशी मदिरा के कार्टून पुंदलोता तहसील डेगाना के लिए बिल जारी किये थे। बिल के अनुसार उसने दोनों

गाडियो में देसी मदिरा के कार्टून भरवाकर पुंदलोता के लिए रवाना किये थे। जीप नम्बर आर जे 33 यूए 0556 का एक्सीडेंट हो गया था। इस जीप में भरे हुए सादा मदिरा के भरे हुए 50 कार्टुन आबकारी विभाग मेडता द्वारा भरवाये गये थे। **प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन स्वीकार किया है कि** जो बिल उनके यहां से जारी होता होता है उसमें गाड़ी नम्बर लिखे होते है। उसके द्वारा जो बिल जारी किया गया यह उसकी फोटो प्रति पत्रावली पर मौजूद है। वह मुलजिम को नहीं जानता हैं।

16. **गवाह पी ड 08 शिवरतन** ने अपने सशपथ बयानों में कथन किया है कि वह दिनांक 07.02.2017 को पीएस मेडतासिटी में एचसी के पद पर कार्यरत था। उस रोज मुकदमा नम्बर 41/2017 में आईओ ने उसके व घासीराम के समक्ष मोटरसाईकिल नम्बर आर जे 21 एसई 5109 को भवरलाल को सुपुर्द की थी जो प्रदर्श पी9 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। **प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन स्वीकार किया है कि** प्रदर्श पी 9 की कार्यवाही उसने थाने में की थी। वह आर सी होल्डर भवरलाल को पहले से नहीं जानता है। मोटरसाईकिल का रंग काला व लाल पटी थी। मोटरसाईकिल आगे से पूरी डमेज थी। इण्डीकेटर वगैरहा टुटे हुऐ थे आगे का हिस्सा टूटा हुआ था। मोटरसाईकिल बंद हालत में थी। प्रदर्श पी9 में आर जी हेल्डर भवरलाल के हस्ताक्षर है। घासीराम इस मुकदमें का मुस्तगीस है जिसे वह जानता है। प्रदर्श पी 9 में आर जी होल्डर भवरलाल के हस्ताक्षर है। घासीराम इस मुकदमें का मुस्तगीस है जिसको जानता है। प्रदर्श पी 9 रिपोर्ट उसके द्वारा तैयार नहीं की गई है। उसके सामने तैयार की थी। गवाह ने अस्वीकार है कि उसने रिपोर्ट होने से पहले हस्ताक्षर किये हो। गवाह ने अस्वीकार किया है कि वह आज झुठे बयान दे रहा हो।

17. **गवाह पी ड 09 आर के तंवर** ने अपने सशपथ बयानों में कथन किया है कि वह दिनांक 29.01.2017 को सीएचसी मेडतासिटी में एमओ के पद पर कार्यरत था। उस रोज पुलिस प्रतिवेदन पर उसने मृतक मुन्नाराम के मृत शरीर का पोस्टमार्टम परीक्षण किया था जिसमें पुलिस द्वारा मृतक की मृत्यु का कारण रोड दुर्घटना में होना बताया गया है जिसमें उसके द्वारा उपरोक्त मृतक की मृत्यु के बारे में राय यह है कि उसके वाईटल ओरगन,

ब्रेन से हुए अत्यधिक रक्त स्त्राव के कारण उसकी मृत्यु हुई थी जो प्रदर्श पी12 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर व सी से डी उसकी राय है तथा ई से एफ मृतक की मृत्यु की अवधि के संबंध में उसकी राय हैं। **प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया है कि** घटना के करीब 12 से 18 घटे बाद उसने मोस्टमार्टम किया था। मृतक को चीर घर में लेकर गये थे। पुलिस तहरीर द्वारा बताया गया था कि मृतक रोड दुर्घटना में मौत हो गई है। मृतक द्वारा शराब नही पी हुई थी। मृतक का उसने विसरा वगैरह नहीं लिया था। यह सम्भव है कि अगर कोई व्यक्ति तेज गति से वाहन चलाता है और पशु से टकराने से मृत्यु हो सकती है। मृतक के जब वह चोट व सिर में इन्जरी थी। मृतक के आंखो में चोट थी मृतक के अन्य कोई चोट नहीं थी। प्रदर्श पी12 हॉस्पीटल में तैयार की थी अजखुद कहा मोर्चरी में तैयार की थी। प्रदर्श पी 12 तैयार की तब शील उसके पास ही थी। उक्त सील उसके द्वारा लाई गई थी। गवाह ने स्वीकार किया है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी12 में पेज नम्बर 1 व 2 में उसके हस्ताक्षर नहीं उसकी कलमी हैं। गवाह ने अस्वीकार किया है कि उसने रिपोर्ट झुठी बताई आज झुठे बयान दे रहा हो।

18. **गवाह पी ड 10 कालुराम** ने अपने सशपथ बयानों में कथन किया है कि उसको किसी बात की जानकारी नहीं हैं। **एपीपी के निवेदन पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया। एपीपी द्वारा प्रतिपरीक्षा में** गवाह ने कथन किया है कि पंचनामा लाश प्रदर्श पी5 है जिसपर आई से जे उसके हस्ताक्षर है। गवाह ने अस्वीकार किया है कि वह आज अभियुक्तो को बचाने के लिए झुठे बयान दे रहा हो। **अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा** प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया है कि पुलिस वालो ने प्रदर्श पी 5 पर खाली कागज पर हस्ताक्षर किये थे। प्रदर्श पी 5 पर क्या लिखा इसकी उसको जानकारी नहीं हैं।

19. **गवाह पी ड 11 निम्बाराम** ने अपने सशपथ बयानों में कथन किया है कि उसको पुलिस से किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं मिला। उसको किसी बात की जानकारी नहीं हैं। **एपीपी के निवेदन पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया। एपीपी द्वारा प्रतिपरीक्षा** में गवाह ने कथन किया

है कि नोटिस धारा 133 एमवी एक्ट प्रदर्श पी13 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है तथा सी से डी उसका जवाब है जो उसका कलमी नहीं है। गवाह ने अस्वीकार किया है कि वह आज अभियुक्तो को बचाने के लिए झुठे बयान दे रहा हो। **अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा प्रतिपरीक्षण में** गवाह ने कथन किया है कि प्रदर्श पी 13 पर पुलिस ने खाली कागज पर उसके हस्ताक्षर कराये थे इसमें क्या लिखा उसको इसकी जानकारी नहीं है उसने तो केवल हस्ताक्षर किये थे।

20. **गवाह पी ड 12 अमराराम** ने अपने सशपथ बयानों में कथन किया है कि दिनांक 03.02.2017 को वह पुलिस थाना मेडता सिटी में एफसी चालक के पद पर कार्यरत था। उस रोज मुकदमा नम्बर 41/17 में आईओ तुलसीराम जी की तहरीर पर थाना परिसर में खड़े जीप आर जे 33 यूए 556 व मोटरसाईकिल आर जे 21 एसई 5109 का मुआयना कर रिपोर्ट तैयार की थी जो प्रदर्श पी 14 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर सी से डी उसकी रिपोर्ट हैं। **प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया है कि** उन्होने दोनों वाहनो का मैकेनिकल मुआयना किया था। घटना के कितने दिन बाद मुआयना किया उसको याद नहीं है। जिस जीप का मुआयना किया उसमें कितनी टूट फुट थी उसको याद नहीं है। जीप चालू हालात में थीं। गवाह ने स्वीकार किया है कि जीप के ब्रेक मैकेनिकल मुआयना के समय नहीं लग रहे थे।

—:विवेचनः—

21. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष पेश हुई उपर्युक्त समग्र साक्ष्य के विवेचन से यह स्पष्ट है कि परीक्षित करवाए गए सभी गवाहान के बयानों में से किसी भी साक्षी ने अपनी साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं किया है कि वक्त घटना टक्कर मारने वाले वाहन को अभियुक्त हनुमानराम चला रहा हो। अभियोजन पक्ष की ओर से जो साक्षीगण परीक्षित हुए हैं, उनकी साक्ष्य से संदेह से परे यह तथ्य साबित नहीं हुआ है कि वरवक्त दुर्घटना वाहन को कौन व्यक्ति चला रहा था। किसी भी गवाह ने दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के वक्त दुर्घटना चालक को देखने एवं उसे

पहचानने में समर्थ होने बाबत कथन नहीं किया है तथा ना ही अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष, दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के वक्त दुर्घटना चालक के रुप में पहचान की है। इसके अलावा अभियोजन की ओर से पेश करवाए गए अन्य गवाह जो मेडिकल और मैकेनिकल मुआयना करने से संबंधित गवाह है उन गवाहों से अभियुक्त की पहचान साबित करने में किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिलती। उक्त सभी गवाहान ने जीप के चालक की पहचान नहीं की है ना ही जीप के नंबर बताए हैं। इस प्रकार उक्त सभी गवाहान की साक्ष्य से वाहन चालक की पहचान साबित करने में कोई भी सहायता नहीं होती है। जब वाहन चालक की पहचान ही संदेह से परे प्रमाणित नहीं है तो चालक द्वारा वाहन को लापरवाही और उतावलेपन से वाहन को चलाकर किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का प्रश्न ही विचारणीय नहीं रह जाता है। इस बात की पुष्टि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक दृष्टांत 1990 सी.आर.एल,(राज.) 494 संग्रामसिंह बनाम राजस्थान राज्य में बखूबी की गई है।

22. अतः उपर्युक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर अभियुक्त हनुमानराम को उसके विरुद्ध आरोपित अपराध धारा 279, 304ए भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

23. परिणामतः हनुमानराम पुत्र श्री ज्ञानाराम उम्र 34 साल निवासी ग्राम डेगाना थाना डेगाना जिला नागौर को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 279, 304ए भारतीय दण्ड संहिता में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

24. अभियुक्त बर जमानत न्यायालय आजाद हैं। अतः अभियुक्त की ओर से पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलका बाबत् उपस्थित होने तारीख पेशी निरस्त किया जाता है। अपीलीय न्यायालय हेतु अभियुक्त को धारा 437 क दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत बीस हजार रूपये के जमानत व मुचलका पेश करने का आदेश दिया जाता है जो आगामी छः माह के लिए प्रभावी रहेंगे।

25. प्रकरण मे जब्तशुदा वाहन सुपुदर्गी पर है जो कि संबंधित के

पास बनी रहे तथा बाद गुजरने मियाद अपील उक्त वाहन की सुपुदर्गी बाबत् प्रस्तुत सुपुदर्गीनामा व जमानतनामा स्वतः निरस्त समझा जावे।

(हुक्मीचंद गहनोलिया)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेड़ता
जिला नागौर राज.

निर्णय आज दिनांक 12.03.2026 को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हुक्मीचंद गहनोलिया)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेड़ता,
जिला नागौर राज.